

**अभिरुचि का अभिव्यक्तिकरण ( Expression of Interest ) (EOI)**


किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 समेकित बाल संरक्षण योजना की संशोधित नियमावली तथा किशोर न्याय की आदर्श नियम-2016 के अन्तर्गत जनपद लखनऊ, बाराबंकी, वाराणसी एवं गौतमबुद्धनगर में मानसिक मंदित, दृष्टिबाधित, मूक वधिर एवं शारीरिक विकलांगता से ग्रसित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उच्च कोटि की विशेषीकृत सेवा सहित गृह PPP (Public Private Partnership) माडल के आधार पर संचालन हेतु संस्था की आवश्यकता है।

चयनित संस्था द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु विशेषीकृत सेवा सहित गृहों के संचालन हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जायेंगी। समेकित बाल संरक्षण योजना की संशोधित नियमावली के अन्तर्गत भवन, आधारभूत संरचना तथा वित्तीय सहायता विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

**आवश्यक शर्तें :-**

महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अभिरुचि के अभिव्यक्तिकरण हेतु कम्पनी / ट्रस्ट / सोसाइटी (एकल अथवा संघ के माध्यम से) के मुख्य प्रतिनिधि के माध्यम से निम्नलिखित अर्हता वाली संस्थाओं से पूर्ण प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है :-

- मानसिक मंदित, दृष्टिबाधित, मूक वधिर, शारीरिक विकलांगता में से किसी भी श्रेणी की विकलांगता से संबंधित विशेष आवश्यकता वाले गृहों के संचालन का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- आवेदन करने वाली संस्थाएँ अर्हता के मानक के अनुसार आवश्यक दस्तावेज / प्रमाण-पत्र, संस्था का ब्रोसुर एवं पिछले 05 वर्षों के आडिट किये हुए वित्तीय अभिलेखों को प्रस्तुत कराना होगा।
- संस्था एवं संस्था के मुख्य पदाधिकारी का कम से कम 03 वर्ष का इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- संबंधित संस्था को समाज में बच्चों के पुनर्वासन की पूरी कार्ययोजना अपने प्रस्ताव में शामिल करनी होगी।
- अभिरुचि प्रदर्शित संस्थाओं की इनीशियल स्क्रीनिंग निदेशालय, महिला कल्याण विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा जिसके समक्ष संस्थाओं को अपनी कार्ययोजना, कार्यों का विवरण का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा। कमेटी द्वारा आवश्यकतानुसार संस्थाओं के द्वारा संचालित गृहों का स्थलीय निरीक्षण भी चयन से पूर्व किया जायेगा।
- संस्था ब्लैकलिस्ट नहीं होनी चाहिए तथा संस्था के पदाधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज नहीं होना चाहिए।
- ई0ओ0आई0 सील बन्द लिफाफे के ऊपर "पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) माडल के आधार पर विशेषीकृत सेवाओं सहित गृहों के संचालन के संबंध में अभिरुचि का अभिव्यक्तिकरण" मोटे-मोटे अक्षरों में अंकित किया जाना चाहिए।
- यदि संस्था के पास मनोवैज्ञानिक परीक्षण टूल, स्पीचथैरिपी टूल, भाषा थैरिपी टूल, विशेषीकृत प्रशिक्षण सामग्री आदि की मान्यता अथवा साक्ष्य उपलब्ध हैं तो उसे वरीयता प्रदान की जायेगी।
- संस्थाओं द्वारा विशेषीकृत गृह संचालन हेतु अपनी विस्तृत कार्ययोजना सहित पूर्ण प्रस्ताव दिनांक 25.05.2017 की 12:00 बजे तक कार्यालय दिवस में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 के जवाहर भवन, आठवे तल के कक्ष संख्या-828 में जमा किया जा सकता है।
- उपरोक्त चारों गृहों का संचालन किसी एक संस्था को अथवा कई संस्थाओं को संचालन हेतु दिया जा सकता है। प्रत्येक जनपद में गृह के संचालन हेतु अलग-अलग एम0ओ0यू0 सम्पादित किया जायेगा।
- विभाग द्वारा चयनित संस्था से विशेषीकृत गृहों के संचालन हेतु 5 वर्ष की कार्यवधि हेतु अनुबन्ध किया जायेगा, जिसे गुणवत्तापूर्ण संचालन की स्थिति में आगे बढ़ाया जा सकेगा।
- निदेशक, महिला कल्याण द्वारा ई0ओ0आई0 के आवेदन को संशोधित करने, परिवर्धित करने, शर्तों को बढ़ाने एवं संशोधित करने तथा बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
- श्री प्रभात रंजन, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी से किसी भी कार्यदिवस पर अथवा दूरभाष संख्या 0522-2288780 पर सम्पर्क कर संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

  
राम केवल, 11/5/17  
निदेशक,  
महिला कल्याण,  
उ0प्र0, लखनऊ।